

प्रपत्र-V

इसे वन विभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी जो अवर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो द्वारा भरा जाना है।

18	राज्य सरकार की सिफारिश (उपर्युक्त भाग "ख" या भाग "ग" या भाग "घ" में किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा की गई प्रतिकूल टिप्पणियों पर विशिष्ट टिप्पणी की जाएँ)	18	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) की अनुशंसा के आधार पर मण्डला जिले के अन्तर्गत वनमण्डल पूर्व मण्डला में 132 के.व्ही. मण्डला से बिछिया मार्ग में विद्युत पारेषण लाईन निर्माण हेतु 14.193 हेक्टेयर वनभूमि कार्यपालन अभियंता, अति उच्च दाब-निर्माण, संभाग-2, म.प्र. पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड, जबलपुर, मध्यप्रदेश को उपयोग पर देने की अनुशंसा की जाती है।
----	---	----	--

दिनांक: 19.11.2020

स्थान: भोपाल

(Signature)

(एच.एस. मोहन्ता)

(एच.एस. मोहन्ता)

सचिव

म.प्र. शासन वन विभाग

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या

(प्राप्ति की तारीख के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जावेगा)